

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 572/2023

अनवान : -

1. जयपाल पुत्र राजीराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. राजेराम पुत्र कानाराम उर्फ काना जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
2. दलीप कुमार पुत्र रजीराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
3. निर्मला पुत्री रजीराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक खुईया तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 18/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 129/128 की कुल 10.8250 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 334/328 की कुल 7.7650 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व रोही मौजा बाच्छुसर तहसील नोहर के खाता स0 57/57 की कुल 9.6110 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 बहिब काबिज है जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

51
उपखण्ड अधिकारी
नोहर



अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।


वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 3 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी संख्या 4 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2074-77 रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता संख्या 129/128, जमाबंदी सम्वत 2072-75 रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 334/328, जमाबंदी सम्वत 2077-80 रोही मौजा बाच्छुसर तहसील नोहर के खाता संख्या 57/57, जमाबंदी सम्वत 2029 ता 38 रोही मौजा मन्दरपुरा, बाच्छुसर, राणीसर भूप्रबन्ध विभाग बहक काना वल्द धोकल, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 काबिज है। वाद वादी डिक्री फरमावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता सं० 129/128 की कुल 10.8250 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता सं० 334/328 की कुल 7.7650 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व रोही मौजा बाच्छुसर तहसील नोहर के खाता सं० 57/57 की कुल 9.6110 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं० 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 129/128 की कुल 10.8250 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 334/328 की कुल 7.7650 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व रोही मौजा बाच्छुसर तहसील नोहर के खाता स0 57/57 की कुल 9.6110 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त तीनों खातों में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/06/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

al
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 572/2023

अनवान : -

1. जयपाल पुत्र राजीराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. राजेराम पुत्र कानाराम उर्फ काना जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
2. दलीप कुमार पुत्र रजीराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
3. निर्मला पुत्री रजीराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक खुईया तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 572 सन 2023 निर्णय दिनांक - 18/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 129/128 की कुल 10.8250 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 334/328 की कुल 7.7650 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व रोही मौजा बाच्छुसर तहसील नोहर के खाता स0 57/57 की कुल 9.6110 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त तीनों खातों में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/06/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

al
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर